

पत्रांक-10/गै0यो0आ0-02/2016-17

01/3/16 रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

कमल किशोर सोन
सरकार के सचिव

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक- 01.04.2016

विषय:-

गैर योजना मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ लघुशीर्ष-099 -
राजस्व बोर्ड, उपशीर्ष-04-भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के अन्तर्गत
वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु इकाईवार कुल ₹93,70,000/- (रूपये
तिरानवे लाख सत्तर हजार) मात्र का आवंटन।

महाशय,


विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत मुख्यालय के कर्मियों का वेतनादि भुगतान एवं
अन्य व्यय हेतु इकाईवार कुल ₹93,70,000/- (रूपये तिरानवे लाख सत्तर हजार) मात्र की
राशि निम्न प्रकार आवंटित की जाती है :-

(राशि रूपये में)			
क्र.सं.	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	2	3	4
1	वेतन	40N205200099040101	83,27,000.00
2	छुट्टी यात्रा रियायत	40N205200099040112	1,80,000.00
3	देशीय यात्रा व्यय	40N205200099040213	2,30,000.00
4	कार्यालय व्यय	40N205200099040315	2,10,000.00
5	मशीनरी एवं उपकरण	40N205200099040317	2,00,000.00
6	दूरभाष	40N205200099040333	68,000.00
7	वर्दी	40N205200099040334	5,000.00
8	प्रशिक्षण व्यय	40N205200099040335	50,000.00
9	मोटरगाड़ी ईंधन एवं मरम्मत	40N205200099040442	1,00,000.00
		कुल योग	93,70,000.00

(रूपये तिरानवे लाख सत्तर हजार)

- इस राशि का ऑनलाईन आवंटन भी दिया गया है। (DDO CODE-PRJSGS 007)
- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक-192/बजट, दिनांक-30.03.2016 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।


4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।
5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।
6. वेतन इकाई में आवंटित राशि के अतिरिक्त अन्य मदों में आवंटित राशि के विरुद्ध हुए व्यय की निकासी यथासंभव इसी माह/अगले माह में करना सुनिश्चित किया जाय।
7. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
8. राशि की निकासी से संबंधित व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभागीय बजट शाखा को उपलब्ध कराया जाय।
9. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-15.03.2017 तक अवश्य कर दिया जाय।
10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

 (कमल किशोर) (सूचन)
 सरकार के सचिव

ज्ञापांक-

01/आर/राँची, दिनांक- 01.04.2016


प्रतिलिपि :-महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


 सरकार के सचिव

ज्ञापांक-

01/आर/राँची, दिनांक- 01.04.2016

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची एवं विभागीय लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 सरकार के सचिव